

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम

संयंत्र निर्माण पर अनुदान –

समस्त प्रदेश में केंद्र शासन द्वारा 1 घन मीटर से 4 घन मीटर क्षमता तक के बायोगैस संयंत्रों पर निम्नानुसार अनुदान देय है :-

अ. 1 घनमीटर क्षमता के संयंत्रों पर स्वीकृत इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 4000/- प्रति संयंत्र

ब. 2 से 4 घनमीटर क्षमता के संयंत्रों पर स्वीकृत इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 8000/- प्रति संयंत्र

स. शौचालय से जोड़े गये संयंत्रों पर रू. 1000/- प्रति संयंत्र के मान से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देय है।



द. बायोगैस संयंत्र से डीजल इंजन चलाने हेतु अधिकतम राशि रू. 5000/- प्रति संयंत्र अनुदान प्लास्टिक रबर बेलून कंटेनर तथा बायोगैस परिवहन हेतु।

टाप अप अनुदान – 1 से 5 घनमीटर क्षमता तक के बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर सभी हितग्राहियों को प्रति संयंत्र रू. 2500/- का टाप अप अनुदान राज्य शासन की ओर से देय है।